राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

--

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1401–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–5–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–3–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

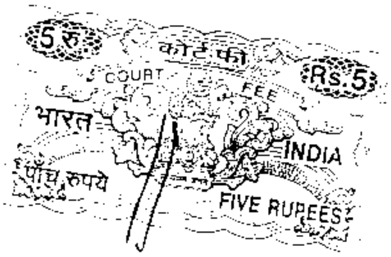

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, भोपाल

R-1501-PBR/14 निगरानी प्र.क्र. —/निग/2012–13

1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री रतनलाल शर्मा
2. श्री सुदर्शन शर्मा आ. स्व. श्री रतनलाल शर्मा
3. श्री अरविंद शर्मा आ. स्व. श्री रतनलाल शर्मा .... आवेदकगण

निवासी - ग्राम - भौरी तह. - हुजूर जिला - भोपाल

विरुद्ध

आशा देवी पत्नी श्री सतीश मिश्रा,
निवासी– वार्ड क्र. 11, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक वाली गली,नगर पंचायत, सुठालिया, जिला राजगढ़ (म.प्र.) .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, भोपाल द्वारा प्रकरण क. 26/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

दिवाकर दीक्षित, अभि. ... आज दि. 1-5-14 को ... प्रस्तुत

कलेक्टर ... राजस्व मण्डल

...कर दीक्षित (एड.) ... ग्वालियर